COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

33

निग-2651-II-16

समक्ष :- माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (म0प्र0)

ब्रजेन्द्र सिंह चौहान Adv
आज दि. 1/8/16 को
प्रस्तुत
1-8-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /15-16निगरानी

1- श्यामलाल पुत्र स्व0 श्री मनका कुशवाह, आयु करीबन 64 साल, व्यवसाय कृषि कार्य, निवासी-दीनदयाल नगर, रेस्ट हाउस के पीछे, करैरा तहसील करैरा, जिला शिवपुरी(म0प्र0)।

2- रामस्वरूप पुत्र स्व0 श्री मनका कुशवाह, आयु करीब 52 साल, व्यवसाय कृषि कार्य, निवासी दीनदयाल नगर ,रेस्ट हाउस के पीछे करैरा, तहसील करैरा जिला शिवपुरी(म0प्र0)---------निगरानीकर्तागण/
आपत्ति कर्तागण

बनाम

1- गोपाल पुत्र स्व0 श्री रामचरन खटीक ।

2- लखन पुत्र स्व0 श्री रामचरन खटीक ।

3- राकेश पुत्र स्व0 श्री रामचरन खटीक ।

4- अशोक पुत्र स्व0 श्री रामचरन खटीक ।

5- मुकेश पुत्र स्व0 श्री रामचरन खटीक ।
समस्त जाति खटीक,समस्त निवासीगण- वार्डनं0 14, करैरा तहसील करैरा जिला शिवपुरी(म0प्र0)।

6- मध्य प्रदेश शासन ।

7- श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील करैरा जिला शिवपुरी(म0प्र0)। ---- प्रतिनिगरानीकर्तागण/

ब्रजेन्द्र सिंह चौहान
B.R.
01/8/16

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय करैरा (पीठासीन अधिकारी यू0सी0मेहरा) के प्र0क्र0 16/15-16/अ-27 (गोपाल आदि बनाम म0प्र0शासन) में पारित आदेश दिनांक 26/5/2016 से दुखित: होकर।

3

राम ... 2412

लगातार...2

0191572 बीस रुपये

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

...रण क्रमांक –निगरानी–2651–दो / 2016 जिला–शिवपुरी

श्यामलाल व अन्य विरूद्ध रामगोपाल आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
15–05–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़ अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार करैरा, जिला–शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 16 / 2015–16 / अ–27 में पारित आदेश दिनांक 26–05–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत इस निगरानी को सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 10–07–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 15/5/19 सदस्य	